

न्यायालय सहायक कलेक्टर जसवंतपुरा मु. भीनमाल जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी -दौलतराम चौधरी आर.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या -04/2014


वादीगण :-

1. हकमा पुत्र भलाजी जाति कलबी निवासी सावीधर
2. जेई बेवा कानाजी के कायम मुकाम
अ. रतनो पुत्री कानाजी जाति कलबी निवासी राजीकावास

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. रतनाराम पुत्र भोमाजी
2. भंवरलाल पुत्र प्रतापजी
3. जानूराम पुत्र मोतीजी
जातियान पुरोहित निवासीगण सावीधर
4. सामी पुत्र गांगा
5. सूरता पुत्र हीरा
6. अजबा पुत्र हीरा
7. दरगा पुत्र हीरा
8. नावी बेवा हीरा
9. गीगा बेवा जूंजा
10. भेरा पुत्र जूंजा
11. वणीया पुत्र सवा
12. करता पुत्र सवा
13. भारता पुत्र सवा
14. उका पुत्र गेला
15. चमना पुत्र गेला
16. जगा पुत्र गेला
17. रंगू बेवा गेला
18. समस्था पुत्र हीरा
19. निम्बा पुत्र हीरा
20. जसा पुत्र गीगा
21. अमरा पुत्र लुम्बा
22. पाता पुत्र नारणा
23. वागा पुत्र सोमा
24. गजा पुत्र सोमा
25. छोगा पुत्र सोना
26. बगदा पुत्र सोना
27. सादा पुत्र सोना
28. गया पुत्र सोना
प्रतिवादीगण संख्या 26 से 28 नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता
गली बेवा सोनाजी कलबी
29. गली बेवा सोना जातियान कलबी
30. जैसाराम पुत्र धुखाजी जाति पुरोहित
31. वगता पुत्र रणछोडा
32. प्रेमा पुत्र रणछोणा
33. मकना पुत्र रणछोडा
34. फुली बेवा रणछोडा जातियान कलबी निवासी सावीधर
35. तहसीलदार भीनमाल
36. पुनमा पुत्र रणछोडा कौम कलबी निवासी सावीधर


सहायक कलेक्टर, जसवंतपुरा
जिला-जालोर (राज)

दावा बाबत बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक: 12.3.18

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 14.12.2017 को प्राथमिक डिक्री इस अमर की सादिर की गई कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा सावीधर खसरा नंबर 1088 रकबा 1.14 हैक्टेयर का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके एवं माफिक राजस्व रेकॉर्ड बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स रास्ते की सुविधाओं को मध्यनजर रखते हुए विभाजन किया जाकर विभाजन के प्रस्ताव विभिन्न रंगों में दर्शाते हुए लगान आदि निश्चित कर तहसीलदार जसवंतपुरा से चाहे जाने पर तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा निम्नानुसार विभाजन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :-

खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	रंग	वि.वि.
1088 मे से	0.0712	चा.प्र. 0.0356 जा.प्र. 0.0356	1.1748 0.3204	हरा	वादीगण का दोनो जगह मौके पर पक्की दुकाने व मकान बना है पक्की चार दीवारी है
1088 मे से	0.0500	चा.प्र. 0.025 जा.प्र. 0.025	0.825 0.225		
	0.1212		2.5452		
2 रतनाराम वल्द भोमाजी 3/43 भंवरलाल वल्द प्रतापजी 489.07 पुखराज वल्द बाबुलाल 222.93 व.मी.=3/43 कौम पुरोहित सामी पुत्र गांगा सुरता अजबा दरगा पि. हीरा मु. नाबी बेवा हीरा गीगा भेरा पि. जुंजा ग्राम सेवा सहकारी समिति नि. सावीधर 6/43 वणीया करता भारता पि सवा उका चमना जगा पि. गेला मु. रगू बेवा गेला समस्था निम्बा पि. हीरा जसा पुत्र गीगा अमरा वल्द लुम्बा पाता पुत्र नारणा वागा गजा पि. सोमा छोगा बगदा सादा डाय पि. सोना नाबा की वली माता गली बेवा सोना व गली बेवा सोना 12/43 भंवरलाल वल्द प्रतापजी जैसाराम वल्द धुखाजी 0.16 है. कौम पुरोहित रतनाराम वल्द भोमाजी जानूराम वल्द मोतीजी पुरोहित 0.12 है.=12/43 वगता प्रेमा मकना पुनमा पि. रणछोडा 3/43 जानुराम वल्द मोतीजी 0.09 है. कौम पुरोहित 4/43					
खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	रंग	वि.वि.
1088 मे से	1.0188	चाही प्रथम 0.5094 जाव प्रथम 0.5094	16.8102 4.5846	गुलाबी	मौके पर आवासीय मकान व चार दीवारी
	1.0188		21.3948		

उक्त प्रस्ताव पर प्रतिवादी प्रेमा, पुनमा पि. रणछोडा की तरफ से दिनांक 07.03.2018 आपति प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा आर. आई. व पटवार हल्का सावीधर से वादग्रस्त आराजी के विभाजन का प्रस्ताव तैयार करवाया गया है जो अपुर्ण है तथा अदालत श्रीमान के द्वारा प्राथमिक डिक्री बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया है जो कानूनन गलत व अवैध है। प्रतिवादीगण संख्या 31 से 34 व 36 के हिस्से की आराजी में 1/16 हिस्से की आराजी का बंटवाडा मे दी जाने वाली आराजी का प्रस्ताव ही तैयार नहीं किया है। आर.आई व पटवार हल्का द्वारा वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव अदालत श्रीमान द्वारा प्राथमिक डिक्री के अनुसार व स्पष्ट नहीं होने व अपुर्ण होने से पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना आवश्यक है।

SP

सहायक कलेक्टर, जसवंतपुरा
जिला-जालोर (राज.)

हमने विभाजन प्रस्ताव एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। चूंकि तहसीलदार की ओर से निरीक्षक भू अभिलेख भरुडी द्वारा मय पटवारी हल्का के मौके पर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन के प्रस्ताव तैयार कर वादी एवं प्रतिवादीगण दोनो की प्रस्तावित विभाजित भूमि नक्शे में अलग-अलग रंगों से दर्शाकर प्रस्ताव पेश किये हैं चूंकि राजस्व कार्मिको द्वारा राजस्व रिकॉर्ड एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो उचित प्रतित होता है। अतएव प्रतिवादी का आपति प्रार्थना पत्र बिना किसी ठोस वजह प्रस्तुत किया जाने से अस्वीकार किया जाता है। चूंकि विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और इस प्रस्ताव के आधार पर विभाजन की अंतिम डिक्री सादिर किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार सादिर की जाती है :-

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	रंग	वि.वि.
1088 मे से	0.0712	चा.प्र. 0.0356 जा.प्र. 0.0356	1.1748 0.3204	हरा	वादीगण का दोनो जगह मौके पर पक्की दुकाने व मकान बना है पक्की चार दीवारी है
1088 मे से	0.0500	चा.प्र. 0.025 जा.प्र. 0.025	0.825 0.225		
2	0.1212		2.5452		
रतनाराम वल्द भोमाजी 3/43 भंवरलाल वल्द प्रतापजी 489.07 पुखराज वल्द बाबुलाल 222.93 व.मी.=3/43 कौम पुरोहित सामी पुत्र गांगा सुरता अजबा दरगा पि. हीरा मु. नावी बेवा हीरा गीगा भेरा पि. जुंजा ग्राम सेवा सहकारी समिति नि. सावीधर 6/43 वणीया करता भारता पि सवा उका चमना जगा पि. गेला मु. रगू बेवा गेला समरथा निम्बा पि. हीरा जसा पुत्र गीगा अमरा वल्द लुम्बा पाता पुत्र नारणा वागा गजा पि. सोमा छोगा बगदा सादा डाय पि. सोना नाबा की वली माता गली बेवा सोना व गली बेवा सोना 12/43 भंवरलाल वल्द प्रतापजी जैसाराम वल्द धुखाजी 0.16 है. कौम पुरोहित रतनाराम वल्द भोमाजी जानूराम वल्द मोतीजी पुरोहित 0.12 है.=12/43 वगता प्रेमा मकना पुनमा पि. रणछोडा 3/43 जानूराम वल्द मोतीजी 0.09 है. कौम पुरोहित 4/43					
खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	रंग	वि.वि.
1088 मे से	1.0188	चाही प्रथम 0.5094 जाव प्रथम 0.5094	16.8102 4.5846	गुलाबी	मौके पर आवासीय मकान व चार दीवारी
		1.0188	21.3948		

एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जाती है कि पक्षकारान के बंट में आई आराजी के हिस्से व कब्जे कास्त में एक दुसरे में दखल अंदाजी नही करे एवं नही किसी से करावे। तहसीलदार जसवंतपुरा को माफिक निर्णय तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/3/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दौलतराम चौधरी)
सहायक कलेक्टर
जिला जसवंतपुरा